संख्या-75/2021/1031/22-2-2020-17(338)/2016

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामबाबू पुत्र श्री रामजीत, निवासी जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामबाबू पुत्र श्री रामजीत, जो नगरिया धूसियान, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेतों में नाली का पानी बहने के विवाद को लेकर दिनांक 21.12.1978 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल, बल्लम व देशी पिस्तौल से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1979 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 08.09.1980 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया और मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 15 वर्ष 02 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने सिद्धदोष बन्दी श्यामबाबू पुत्र श्री रामजीत द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्यामबाबू (बन्दी संख्या-21719) पुत्र श्री रामजीत, निवासी जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2021/1031(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in